

राजस्थान – सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक : राजपत्रित/अध्ययन अवकाश/पीजी-2023/2025/82 दिनांक : 12-03-2025
-: **आदेश** :-

निम्न लिखित सेवारत चिकित्सक का उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का अध्ययन अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर

क. सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि	जिस विषय में पीजी/एमसीएच/डी एनबी कर रहे का नाम	अध्ययन अवकाश की अवधि
1	डॉ० मनीषा आर्य	28.08.1995	26.12.2020	स्त्री एवं प्रसूति रोग	27.10.23 से 26.10.26
2	डॉ० ज्योत्सना शर्मा	25.04.1994	21.05.2020	स्त्री एवं प्रसूति रोग	01.11.23 से 31.10.26

जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर

क. सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि	जिस विषय में पीजी/एमसीएच/डी एनबी कर रहे का नाम	अध्ययन अवकाश की अवधि
1	डॉ० अभिषेक खोरवाल	12.06.1994	22.12.2020	पैथोलोजी	01.11.23 से 31.10.26

महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज झांसी उत्तर प्रदेश

क. सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि	जिस विषय में पीजी/एमसीएच/डी एनबी कर रहे का नाम	अध्ययन अवकाश की अवधि
1	डॉ० राहुल मीना	05.09.1995	24.12.2020	डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोडायग्नोसिस	09.12.22 से 08.12.24

उपरोक्त सूची में महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज, झांसी, उत्तर प्रदेश की तालिका में अंकित डॉ० राहुल मीना का अध्ययन अवकाश अवधि का वेतन निदेशालय में स्वीकृत 2000 चिकित्सा अधिकारी (लीव रिसर्व) के पदों से, बजट हैड 2210-01-001-01-00 से आहरण किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

साथ ही उक्त आदेश पूर्व में अध्ययन अवकाश का लाभ प्राप्त नहीं किये जाने की स्थिति में ही मान्य होगा एवं अग्रिम कार्यवाही से पूर्व सम्बन्धित महाविद्यालय अध्ययन अवकाश की सभी शर्तों की पालना सुनिश्चित कर लेवें।

उक्त आदेश राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 05.07.2022 एवं प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में जारी किये गए हैं।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

कमांक : राजपत्रित/अध्ययन अवकाश/पीजी-2023/2025/82

दिनांक :12-03-2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर
3. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान ।
4. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान ।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय ।
6. कार्यालय अधीक्षक एटीसी/डीपीसी सैल, राजपत्रित मुख्यालय ।
7. प्रभारी सर्वर रूम को भेज कर लेख है कि आज ही विभाग की वैबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें ।
8. संबंधित चिकित्सा अधिकारी ।
9. रक्षित/निजी पत्रावली ।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

Document certified by RAVI PRAKASH
SHARMA <directorph-ri@nic.in>

Digitally Signed by Ravi
Prakash Sharma
Designation: Director
Date :12-03-2025 02:44:21